



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27554

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1861 वर्ष 2026

मानबोध कुमार उर्फ मान बोध सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

पुलिस महानिदेशक और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राज कुमार सिंह, रजत एरेन, उज्ज्वल वर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रजत एरेन और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, उनका तर्क है कि वह निर्देशों से भली-भांति अवगत हैं और निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं तथा वह कोई अन्य हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, इस प्रकार पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 28.02.1995 को पीएसी में रसोइया के पद पर नियुक्त किया गया था, रिट याचिकाकर्ता ने 30.09.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद आवेदन पर विचार किया गया और रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में 31.10.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दे दी गई। रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन 69,716 रुपये था और 05.12.2024 को रिट याचिकाकर्ता को 5,66,759 रुपये की जीपीएफ राशि का भी भुगतान किया गया। रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि कथित सुनीता देवी उर्फ गिरजा देवी पेंशन संबंधी लाभों और अन्य लाभों के भुगतान में हर तरह की बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत केस संख्या 377 वर्ष 2020 में हुआ है और इसके अतिरिक्त दिनांक 28.07.2025 के आदेश द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत भरण-पोषण के दावों को नकारा नहीं गया है।
4. वर्तमान याचिका में उन पेंशन संबंधी लाभों और अन्य लाभों को प्रदान करने की प्रार्थना की गई है जिसके लिए सेवानिवृत्ति के बाद सभी लाभों के हकदार होते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आदेश पारित होने के बाद, आज कमांडेंट, 4वीं वाहिनी, पीएसी, प्रयागराज के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 15.10.2025 के निर्देश भेजे गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट ए के रूप में अंकित किया जाता है।
6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि दावा विचाराधीन है और पेंशन संबंधी लाभों को केवल उस संबंध में कानूनी बाधाओं के अधीन ही रोका जा सकता है। उनका तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया तीसरे प्रत्यर्थी, कमांडेंट, 4वीं वाहिनी, पीएसी, प्रयागराज द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है।
7. ऐसे तर्क पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं।
8. विरोधी पक्षकारों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक तीसरे प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और उन आदेशों के साथ, जिन्हें रिट याचिकाकर्ता परिवादी के विरुद्ध अपने पक्ष में होने का दावा करता है, एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें, जो आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर सख्ती से कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे। यदि तीसरे प्रत्यर्थी की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें प्रेषित किए जाएंगे। यदि दावे का निर्णय करने वाले प्राधिकारी की यह राय है कि रिट याचिकाकर्ता से कुछ इनपुट भी आवश्यक है, तो उन्हें रिट याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए।
9. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
10. आज दाखिल किए गए निर्देशों को परिशिष्ट ए के रूप में अंकित कर रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

**9 फरवरी, 2026**

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"